राजस्व वाद 86 / 2024
जीसीएमएस नंबर–2024 / 198
समन्दर बनाम् युनश वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 86 / 2024

वादीगण–

1. समन्दर उर्फ अब्दुल समद उर्फ मोहम्मद समद फौत के विधिक वारिसान
1 / 1. रयाना बानों पुत्री समन्दर उर्फ अब्दुल समद उर्फ मोहम्मद समद
1 / 2. तबसुम पुत्री समन्दर उर्फ अब्दुल समद उर्फ मोहम्मद समद
1 / 3. कमरूनिसा पत्नी समन्दर उर्फ अब्दुल समद उर्फ मोहम्मद समद
1 / 4. रशीदा पुत्री समन्दर उर्फ अब्दुल समद उर्फ मोहम्मद समद
1 / 5. तमन्ना बानो पुत्री समन्दर उर्फ अब्दुल समद उर्फ मोहम्मद समद नाबालिक जरिये वलिया माता कमरूनिसा पत्नी समन्दर उर्फ अब्दुल समद उर्फ मोहम्मद समद
जातियान–व्यापारी मुसलमान निवासीगण–खाटूबड़ी तहसील जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. युनुस पुत्र मजीद अहमद
2. हमीद पुत्र मजीद अहमद
3. शब्बीर पुत्र मजीद अहमद उम्र समस्त व्यस्क जातियान व्यापारी मुसलमान निवासी–खाटूबड़ी।
4. अकबर पुत्र मजीद अहमद फौत के विधिक वारिसान।
   4 / 1 नबीया पत्नी अकबर
   4 / 2. आरीफ पुत्र अकबर
   4 / 3. अब्दुल कयूम पुत्र अकबर
   4 / 4. इमरान पुत्र अकबर
   4 / 5. नसीम पुत्री अकबर
   4 / 6. समीम पुत्री अकबर
   4 / 7. सबाना पुत्री अकबर तमाम जातियान व्यापारी मुसलमान
5. प्रबंधक राजस्थान मरूधरा बैंक शाखा खाटुबड़ी, तहसील– जायल।
6. राजस्थान सरकार तहसीलदार जायल।

सहायक कलेक्टर जायल

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री ज्योति खंडेलवाल
3. प्रतिवादी संख्या 11 परफोंमा पक्षकार
4. प्रतिवादी संख्या 12 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री ज्योति

सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

खंडेलवाल प्रतिवादी संख्या 12 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया मौजा फिरोजपुरा सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 3 की भूमि के मुतदाविया खेतायों में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 को सहखातेदार घोषित किया जाकर पक्षकारान् के मध्य बंटवाड़ा माफिक वाद पत्र राजीनामा अनुसार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीगण कमश 1 से 5 रयाना बानो, तबसुम, कमरूनिसा, रशीदा व तमन्ना बानो के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फिरोजपुरा के खेत खसरा नंबर 69 रकबा 3.2941 हैक्टेयर में से 0.6588 हैक्टैयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 युनुस अली के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फिरोजपुरा के खेत खसरा नंबर 69 रकबा 3.2941 हैक्टेयर में से 0.6588 हैक्टैयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 अब्दुल हमीद के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फिरोजपुरा के खेत खसरा नंबर 69 रकबा 3.2941 हैक्टेयर में से 0.6588 हैक्टैयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 शब्बीर अहमद के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फिरोजपुरा के खेत खसरा नंबर 69 रकबा 3.2941 हैक्टेयर में से 0.6588 हैक्टैयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 4 से 7 कमश नबीया बेगम, मोहम्मद आरीफ, अब्दुल क्यूम व इमरान खान के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फिरोजपुरा के खेत खसरा नंबर 69 रकबा 3.2941 हैक्टेयर में से 0.6589 हैक्टैयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 8 से 10 के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखे जाने से मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है अतः इन प्रतिवादीगण का राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्य जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने की स्थिति में)
7. नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.11.24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा) (अभिलाषा चौधरी ... कायल)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) जायल–(नागौर)

सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner